न्यायपालिका में लंबित मामले और रिक्तियाँ

राष्ट्रीय न्यायपालिका में फैले लंबित प्रतियों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, और सभी स्तरों पर रिक्तियाँ की बड़ी संख्या है। सर्वाधिक न्यायालय के क्लोजिंग ने हाल ही में सुझाव दिया था कि सर्वाधिक न्यायालय में सात न्यायाधीशों की नियुक्ति के उपरांत बाद उच्च

न्यायालयों में 129 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। इस नोट में हम न्यायपालिका में लंबित मामलों और विभिन्न स्तरों पर

न्यायाधीशों की रिक्तियाँ से संबंधित आँकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं।

आंकड़ों में लंबित मामले: नवम्बर में साधे चार कड़ों से उजाडा मामले सटके हुए हैं

<table>
<thead>
<tr>
<th>सातक्षरीय न्यायालय में लंबित मामले</th>
<th>उच्च न्यायालयों में लंबित मामले (लख में)</th>
<th>अधिनर्थक न्यायालयों में लंबित मामले (करोड़ में)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>80</td>
<td>80</td>
<td>80</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>एकक्षरीय न्यायालय</th>
<th>आंकड़े 15 लसतंबर, 2021 तक के हैं।</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>आंकड़े 15 लसतंबर, 2021 तक के हैं।</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

नोट: 2010 के लिए सातक्षरीय न्यायालय के अन्दर 4 सितंबर, 2021 के हैं। उच्च न्यायालयों और अधिनर्थक न्यायालयों के अंदर दिखी 15 सितंबर, 2021 के हैं।

• 2010 और 2020 के बीच सभी न्यायालयों में लंबित मामलों में 2.8% की दर से वास्तविक बढ़ोतरी हुई। 15 सितंबर, 2021 तक भारत के सभी न्यायालयों में 4.5 करोड़ से उजाडा मामले लंबित थे। इनमें 87.6% मामले अधिनर्थक न्यायालयों और 12.3% उच्च

न्यायालयों में लंबित थे।

• इसका अर्थ यह है कि अगर कोई नए मामले दायर नहीं होते तो सर्वाधिक न्यायालय को सभी संख्या मामलों को नियोजित में 1.3 वर्ष लगेंगे और उच्च न्यायालयों एवं अधिनर्थक न्यायालयों, प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष लगेंगे।

• 2019 और 2020 के बीच उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों में 20% की दर से, और अधिनर्थक न्यायालयों में 13% की दर से बढ़ोतरी हुई। यह निश्चित है कि 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण न्यायालयों में सामान्य कामकाज सीमित रहा। इसलिए जहाँ पिछले वर्षों की तुलना में नए मामले बढ़ते थे, लंबित मामले बढ़ते गए- चूँकि मामलों को नियोजित की जाएँ, तब यह नए मामलों की दर से बढ़ती थी।

• सामान्य तौर से जिन उच्च न्यायालयों और अधिनर्थक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में बड़ी आबादी आती है, वहाँ लंबित मामलों की संख्या उजड़ रही है। उक्त न्यायालयों और पटना उच्च न्यायालयों (जिनके क्षेत्राधिकार में अधिकांश बड़ी आबादी आती है) की तुलना में मद्रास, राजस्थान और पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालयों में उजड़ लंबित मामले हैं।

• 2010 और 2020 के बीच सिफर चार न्यायालयों (इंडियाबाद, कोलकाता, ओडिशा और जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख) में लंबित मामलों में कमी आई। इसी दौरान न्यायालय राज्यों (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार) के अधिनर्थक न्यायालयों में संख्या में लंबित मामलों की संख्या में कमी की। कुछ राज्यों जैसे चंडीगढ़ और गुजरात के अधिनर्थक न्यायालयों में लंबित मामलों में जिसावट आई।

आशिर कुलर शुभम दत्त
omir@prsindia.org shubham@prsindia.org 11 अक्टूबर, 2021
उच्च न्यायालयों में 21% मामले 10 वर्ष से, और अधीनस्थ न्यायालयों में 23% मामले पांच वर्ष से लंबित हैं।

२० अगस्त, २०२१ (१५ सितंबर, २०२१ तक)

- उच्च न्यायालयों में 41% मामले पांच वर्ष या उससे ज्यादा समय से लंबित हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में हर चार में से एक मामला कम से कम पिछले पांच वर्ष से लंबित है।
- लगभग 45 लाख मामले अधीनस्थ और उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से लंबित हैं। उच्च न्यायालयों में 21% और अधीनस्थ अदालतों में 8% मामले 10 वर्ष से उपयोग समय से लंबित हैं।

**न्यायपालिका में रिक्तियां भी बड़ी संख्या में लंबित मामलों की वजह**

- फैसले लेने के लिए न्यायाधीशों की कमी है। 1 सितंबर, 2021 तक रत्नागिरि न्यायालय में 34 न्यायाधीशों की स्थीतित संख्या के मुकाबले एक रिक्तियां थी। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कुल स्थिति संख्या में से 42% रिक्त थे (1,098 में से 465 पद)। पांच उच्च न्यायालयों (लेणामाण, पटना, राजस्थान, ओडिशा और दिल्ली) में 50% से ज्यादा रिक्तियां थीं। भारत और मणिपुर उच्च न्यायालयों में कोई रिक्ति नहीं थी।
- 20 फरवरी, 2020 तक अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्थीतित संख्या में से 21% पद रिक्त थे (24,018 में से 5,146 पद)। जिन राज्यों में कम से कम 100 न्यायाधीशों की स्थीतित संख्या है, उनमें से बिहार में सबसे अधिक 40% रिक्तियां (776) हैं, इसके बाद हरियाणा में 38% (297) और झारखंड में 32% (219) रिक्तियां हैं।

**ट्रिब्यूनल और विशेष अदालतों में भी लंबित मामले और रिक्तियां बहुत अधिक हैं**

- ट्रिब्यूनल और विशेष अदालतों (जैसे फास्ट ड्रिक्ट्र अदालतें और फैलिंग कोर्ट्स) को इसलिए गढ़ दिया जाता है तकि मामलों का तेजी से निषेध दिया जा सके। लेकिन वहाँ भी मामले बहुत अधिक संख्या में लंबित हैं, और रिक्तियां भी बहुत अधिक हैं।
- उदाहरण के लिए 2020 के अंत तक राष्ट्रीय कंपनी कानून दर्शन (एनसीएसी) में 21,259 मामले लंबित थे। अप्रैल 2021 तक एनसीएसी में 39 सदस्य थे, जबकि उसकी स्वीकृत संख्या 63 की है।
- पिछले दो दशकों में फास्ट ड्रिक्ट्र अदालतें बड़ी गई हैं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों और इन फास्ट ड्रिक्ट्र कोर्ट्स में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मई 2021 तक 24 राज्यों (बाहरी में फास्ट ड्रिक्ट्र अदालतें चालू हालत में नहीं हैं) में 956 फास्ट ड्रिक्ट्र अदालतें में 9.2 लाख से अधिक मामले लंबित थे।
राज्यों में अंडरदायल कैट्रदयों का दोगुने से भी अधिक

<table>
<thead>
<tr>
<th>राज्य</th>
<th>अंडरदायल कैट्रदयों का % (2019 तक)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Andhra Pradesh</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>Assam</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>Bihar</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>Chhattisgarh</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>Delhi</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>Gujarat</td>
<td>83</td>
</tr>
<tr>
<td>Haryana</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>Jammu &amp; Kashmir</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>Jharkhand</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>Karnataka</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>Kerala</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>Maharashtra</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>Odisha</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>Punjab</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>Rajasthan</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>Tamil Nadu</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>Telangana</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>Udaipur</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>Uttar Pradesh</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Uttarakhand</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>West Bengal</td>
<td>68</td>
</tr>
</tbody>
</table>

नोट: यहाँ उपलब्ध राज्यों और यूटीज़ के आंकड़े तक हैं जो कम से कम 2,000 अंडरदायल कैट्रदयों का दोगुने से भी अधिक है।

- लंबे समय तक मुकदमे रहने की वजह से भारत की जेलों में अंडरदायल (आरोपी या तो मुकदमे का इंतियार कर रहे हैं या उन पर मुकदमा चल रहा है) की संख्या बहुत अधिक है। 31 दिसंबर, 2019 तक भारत की जेलों में लगभग 4.8 लाख कैट्रदयों बंद थे। इनमें से कम से कम 3.3 लाख अंडरदायल हैं।

- 5,011 अंडरदायल्स पांच वर्ष या उससे अधिक समय से भारत की जेलों में बंद हैं। इनमें से करीब आधे अंडरदायल्स (2,142) उत्तर प्रदेश (15 लाख जेलकैट्रद) और महाराष्ट्र (394) की जेलों में हैं।

स्रोत: कोटिस न्यूयोर्क (2010-2018), वार्षिक रिपोर्ट (2019-2020), भारतीय न्यायालय संस्थान, नेशनल ज्यूडिसियल बुरो एंड सबऑडडिनेट कोटिस (15 सितंबर, 2021 को आधिकृत बार एक्सेस किया गया); वेबसाइट स्टेटमेंट्स (2019-2021), फास्ट रैक कोटिस संबंधी योजना पर ब्रीफ नोट (नॉन प्ञार्क), वर्षभाग, राजसभा अतिरिक्त प्रश्न।